


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

बजरंग लाल अग्रवाल बनाम एस डी ओ चौमू व अन्य

केस संख्या 88/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13.07.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का गलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विवाराधीन प्रकरण संख्या 18/2020 व उनवानी बजरंग लाल बनाम द्वारिका प्रसाद व अन्य में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी चौमू के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक सुराणा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> (अन्तर सिंह मेहरा)</p>	